JALAUN POLICE

दिनांक – 22.05.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली उरई पुलिस व आबकारी मय टीम द्वारा 01 अभियुक्त के कब्जे से 51 पेटी में 1438 अदद अवैध अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 06 लाख) बरामद की गयी ।

दिनांक 22.05.2025 को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र मे रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो व वांछित अपराधी चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की झांसी चुंगी के पास स्थित उमरारखेडा वाले कम्पोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2024 -25 मे बची हुयी शराब को विभिन्न लाईसेंस धारकों से सस्ते दामो मे खरीदकर बेच रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली उरई पुलिस व आबकारी टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर हिन्दुस्तान लीवर फैक्ट्री के पीछे ग्राम रंगेदा में राकेश कुमार गुप्ता के मकान से अभियुक्त रामू पुत्र माताप्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम चौरसी कोतवाली उरई जनपद जालौन को मय लोडर गाडी मे रखी अवैध शराब 51 अदद पेटी (भिन्न-भिन्न ब्राण्ड) के साथ गिरफ्तार किया एवं अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता मौके से फरार हो गये हैं। अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी। अवैध शराब को आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने स्कैनर से स्कैन करने पर पाया गया कि उक्त बरामद शराब भिन्न भिन्न लाईसेंस धारको के विगत वित्तीय वर्ष का माल होना पाया गया। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा राकेश कुमार गुप्ता की लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

कोतवाली उरई में अन्तर्गत मु0अ0सं0-292/2025 धारा-60(1)/64/72 आब0 अधि0 व 318(4) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1. रामू पुत्र माताप्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम चौरसी कोतवाली उरई जनपद जालौन

अभि0 रामू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-497/2023 धारा-8/20 NDPS ACT कोतवाली उरई
2. मु0अ0सं0-379/2024 धारा-8/20 NDPS ACT कोतवाली उरई
3. मु0अ0सं0-292/2025 धारा-60(1)/64/72 आब0 अधि0 व 318(4) बीएनएस कोतवाली उरई

अभियुक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के थानो व सीमावर्ती जनपदों से की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 51 पेटी में 1438 अदद अवैध अंग्रेजी शराब (किमत करीब- 06 लाख)
2. लोडर नं0 UP 92 AT 6685 (धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक उरई मय पुलिस टीम।
2. आबकारी निरीक्षक मय टीम